FORM NO III

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 131, 132 एल.आरए व नियम 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

प्र0सं0 25/2020 प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2020	सुआमोटो प्रकरण जिस पर तहसीलदार करेड़ा ने अपने पत्रांकः राजस्व/2020/913 दिनांक 15.09.2020 द्वारा ग्राम भैरूंखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 626 रकबा 9.17 बीघा में से रकबा 1.05 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में ग्राम भैरूंखेड़ा चौराहे से जसवंतपुरा को मिलाने वाली कच्ची सड़क से दक्षिण की ओर बिलानाम भूमि से खातेदारी भूमियों को जाने वाला रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता 50 के लगभग काश्तकारों के सार्वजनिक रूप में आने–जाने के काम आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में उक्त सिवायचक आराजी की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज नही है जिसे राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने में मौके के अनुसार कोई आपत्ति नहीं है। जिसके समर्थन में सम्बत् 2072 से 2075 की नकल जमाबन्दी नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान के तहसीलदार करेड़ा द्वारा पत्रादि मय अभिशंषा के प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली आदेश दिनांक 19.10.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	
19.10.2020	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे सुआमोटो प्रार्थना पत्र पर तहसीदार की रिपोर्ट / अभिशंषा उचित प्रतीत होती है। अतः सुआमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **आदेश** अतः तहसीलदार करेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भैरूंखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 626 रकबा 9.17 बीघा में से रकबा 1.05 बीघा किस्म बंजड़ भूमि में ग्राम भैरूंखेड़ा चौराहे से जसवंतपुरा को मिलाने वाली कच्ची सड़क से दक्षिण की ओर बिलानाम भूमि से खातेदारी भूमियों को जाने वाला रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता सार्वजनिक रूप में आने–जाने के काम [illegible] है को राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में संलग्न नक्शे एवं प[illegible]ष्ट– [illegible] में वर्णितानुसार कर अमल दरामद की कार्यवाही [illegible] न्यायालय में पेश करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (महीपाल सिंह) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर,करेड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 08:28:45 IST
Reason: SelfAttested